# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-25/2024

प्रकरण दायर दिनांकः-15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांकः- 14.08.2024

उनवान- राज. सरकार बनाम अनिषा वगै.

राजस्व ग्राम गुढलिया स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः-14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/2024/254 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम गुढलिया स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 115 पुराना 118 के खसरा नं. 917 रकबा 1.77 हैक्ट. में से 0.20 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में पटवारी हल्का गुढलिया, भू. अ. निरीक्षक गुढलिया मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांकः 07.03.2024, राजस्व जमाबंदी संवत 2074-77 ग्राम गुढलिया खाता सं. नया 115 पुराना 118 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जगनलाल, रामकिशोर, कैलाश, प्रभुदयाल पुत्रान श्रीराम, रामफूल पुत्र हरदेव, मॉगीलाल पुत्र मूलचन्द, जगदीश पुत्र मंगला, रामअवतार पुत्र रामरतन, जन्सीराम पुत्र बिरदीचन्द, ख्यालीराम पुत्र सुखपाल, मोहनलाल पुत्र टुण्डा उर्फ गोपाल की ओर से जवाब व अधिवक्ता श्री रामराय शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रस्तुत प्रस्ताव को अपूर्ण व नियमानुसार सही नहीं बताते हुए रास्ते बाबत असहमति प्रकट की है तथा प्रस्ताव को खारिज करने बाबत निवेदन किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम गुढलिया स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 115 पुराना 118 के खसरा नं. 917 रकबा 1.77 हैक्ट. में से 0.20 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रस्ताव को अपूर्ण व नियमानुसार सही नहीं बताते हुए रास्ते बाबत असहमति प्रकट की है तथा प्रस्ताव को खारिज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत खातेदारान द्वारा असहमति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम-

Scanned with OKEN Scanner

गुढलिया स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| 2.8.24 | अर्जी स्वीकार करकर ... । चाहा। वास्ते बहस दिनांक: 5.8.24 को पेश हो। |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई |
| 5.8.24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी। वास्ते आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई |
| 14.8.24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया। खातेदारान द्वारा रास्ते के संबंध में जवाब में आपत्ति प्रकट की है। अतः खातेदारान द्वारा आपत्ति व असहमति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्राप्त प्रस्ताव व जवाब/आपत्ति के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा ग्राम - मुण्डिया स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को दर्ज करने बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज<br>[signature] |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | करने बाबत [illegible] आदेश किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>[illegible]<br>14.8.24<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई | |